न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास–रामजस विश्नोई (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद अधीन धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत् घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवाड़ा खेताय
संख्या :– 179/2015

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. कमलनयन पुत्र कन्हैयालाल 2. मुरलीधर पुत्र कन्हैयालाल 3. भागीरथ पुत्र जोगाराम (फौत0) के कायम मुकाम 3.1 मदनलाल पुत्र भागीरथ 3.2 राजाराम पुत्र भागीरथ 3.3 धनराज पुत्र भागीरथ 3.4 सरला पुत्री भागीरथ 3.5 लीला पुत्री भागीरथ 4. रामप्रसाद पुत्र जोगाराम 5. कौशल्या पत्नी गोविन्दराम 6. सोनू पुत्री गोविन्दराम जाति ब्राह्मण निवासीगण संखवास तह0 मूण्डवा जिला नागौर	1. तहसीलदार मूण्डवा। 2. सुगना पुत्री कन्हैयालाल 3. बाउ पुत्री कन्हैयालाल 4. संतोष पत्नी परमेश्वर 4.1 सागर पुत्र परमेश्वर 5. दुर्गेश पुत्र परमेश्वर 6. सत्यनारायण पुत्र विट्ठल प्रसाद 7. उम्मेद पुत्र विट्ठल प्रसाद 8. जसोदा पुत्री विट्ठल प्रसाद 8.1 रतन पुत्री विट्ठल प्रसाद 9. ओम प्रकाश पुत्र देवीचन्द 10. प्रेमप्रकाश पुत्र देवीचन्द 11. राजेश पुत्र देवीचन्द 12. मनोज पुत्र देवीचन्द 13. पार्वती पत्नी देवीचन्द समस्त जाति ब्राह्मण निवासी संखवास तह0 मूण्डवा जिला नागौर

वकील वादीगण :– श्री अर्जुनदास   वकील प्रतिवादीगण :– कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक :– **24.03.2021**

1. वादीगण की ओर से वाद पेश किया गया कि हम पक्षकारान के खातेदारी के खेताय वाके ग्राम संखवास ख.नं. 1467 रकबा 10–02 बीघा, खं.न. 1517 रकबा 21–19 बीघा व ख.नं. 1518 रकबा 42–15 बीघा कुल रकबा 74–16 बीघा हैं, जिसकी खतौनी हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण एवं उनके बढेरों के नाम की हैं। नकल खतौनी साथ वाद प्रस्तुत की जा रही हैं। उक्त खेताय पर हम पक्षकारान का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा हैं।

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

2. कि इस वर्ष हम सब लोगों ने बैठकर खेतों की पैदावार एवं गांव से दूरी व उपजाउ तथा अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखकर बंटवाड़ा कर लिया हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

क) कि खेत ख.नं. 1518 रकबा 42–15 बीघा में से पूर्वी हिस्सा 15 बीघा वादी सं. 1 कमलनयन के बंट व कब्जे में रखा हैं।

ख) कि खेत ख.नं. 1518 रकबा 42–15 बीघा में से बीच का हिस्सा 18 बीघा वादी सं. 4 रामप्रसाद के कब्जे व बंट में रखा हैं।

ग) कि खेत ख.नं. 1518 रकबा 42–15 बीघा में से पश्चिम हिस्सा 9–15 बीघा वादी सं. 5 व 6 कौशल्या व सोनू के संयुक्त रूप से कब्जे काश्त एवं बंट का रखा हैं।

घ) कि खेत ख.नं. 1517 रकबा 21–19 बीघा में से 15 बीघा उत्तरी हिस्सा वादी सं. 3 भागीरथ के कब्जे काश्त खातेदारी एवं बंट में रखा हैं।

च) कि खेत ख.नं. 1517 रकबा 21–19 बीघा में से शेष 6–19 बीघा दक्षिणी हिस्सा वादी सं. 2 मुरलीधर के कब्जे काश्त खातेदारी व बंट में रखा हैं।

छ) कि खेत ख.नं. 1467 रकबा 10–02 बीघा प्रतिवादी सं. 9 से 13 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी व बंट में रखा हैं।

3. वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी 2 व 3 की ओर से वकील श्री मधूर सिखवाल ने वकालातनामा व इकबालिया जवाब 10.03.2017 को पेश हुआ। प्रतिवादीगण संख्या 6, 7, 8 व 8/1 बावजूद तामिल सम्मन के उपस्थित नहीं हुए जिससे उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई।

4. गवाह व वादी सं. 4 रामप्रसाद पुत्र जोगाराम (P.W.-1) के दिनांक 03.12.2019 को एवं गवाह–वादी (3/2) राजाराम पुत्र भागीरथ के दिनांक 16.12.2020 को बयान कलमबद्ध किये गये।

5. दिनांक 22.12.2020 को उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री के योग्य होने से दिनांक 22.12.2020 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मूण्डवा को माफिक प्राथमिक डिक्री के मौके पर भूमि का बाई मीट्स व बाउण्ड्स बंटवाड़ा के प्रस्ताव बनाकर पालना रिपोर्ट हेतु लिखा गया।

6. तहसीलदार मूण्डवा के पत्र क्रमांक/भूअ./2021/861 दिनांक 23.02.2021 से प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट दिनांक 03.03.2021 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार अन्तिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती हैं :–

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

A. कि खेत ख.नं. 1518 रकबा 42–15 बीघा में से पश्चिमी हिस्सा 15 बीघा वादी सं. 1 कमलनयन के बंट व कब्जे में घोषित किया जाता हैं।

B. कि खेत ख.नं. 1518 रकबा 42–15 बीघा में से बीच का हिस्सा 17–17 बीघा वादी सं. 4 रामप्रसाद के कब्जे व बंट में घोषित किया जाता हैं।

C. कि खेत ख.नं. 1518 रकबा 42–15 बीघा में से पूर्वी हिस्सा 9–12 बीघा वादी सं. 5 व 6 कौशल्या व सोनू के संयुक्त रूप से कब्जे काश्त एवं बंट में घोषित किया जाता हैं।

D. कि खेत ख.नं. 1517 रकबा 21–19 बीघा में से 14–17 बीघा पश्चिमी हिस्सा वादी सं. 3 भागीरथ के कायम मुकाम क्रमशः मदनलाल, राजाराम, धनराज, सरला व लीला के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी एवं बंट में घोषित किया जाता हैं।

E. कि खेत ख.नं. 1517 रकबा 21–19 बीघा में से शेष 6–16 बीघा पूर्वी हिस्सा वादी सं. 2 मुरलीधर के कब्जे काश्त खातेदारी व बंट में घोषित किया जाता हैं।

F. कि खेत ख.नं. 1467 रकबा 10–02 बीघा प्रतिवादी सं. 9 से 13 ओमप्रकाश, प्रेमप्रकाश, राजेश, मनोज पुत्र देवीचन्द व पार्वती पत्नी देवीचन्द के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी व बंट में घोषित किया जाता हैं।

नोट :–

सामलाती रास्ता 0–12 बीघा (भागीरथ के कायम मुकाम 0–03 बीघा, मूरलीधर 0–03 बीघा, रामप्रसाद 0–03 व सोनू कौशल्या का 0–03 बीघा) इन चारों हिस्सेदारों के सामलाती रास्ता के रकबा हेतु इन चारों के बंट के रकबों में से कम किया गया है

तहसीलदार मूण्डवा से प्राप्त रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार मूण्डवा को तेहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **24.03.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(रामजस विश्नोई)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर